राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 391/2025

शिवांग पारीक

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये सचिव, खनन एवं भूविज्ञान विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, खनन एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर।
3. खनन अभियंता, खनन एवं भूविज्ञान विभाग, झुंझुंनू।
4. चेतराम मीणा, वरिष्ठ खनन फोरमेन ग्रेड–I , खनन अभियंता, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 16.01.2025
आदेश की दिनांक : 29.01.2025

अपीलार्थी की ओर से : श्री धर्म चंद जैन, अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलो के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई। अपीलार्थी की तरफ से संशोधित अपील प्रस्तुत कर उसे रिकॉर्ड पर लेने हेतु निवेदन किया। अपीलार्थी के अधिवक्ता को सुना। संशोधित अपील रिकॉर्ड पर ली गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार कि अपीलार्थी एम.एस.सी., भूविज्ञान योग्यताधारी है तथा प्रथम नियुक्ति दिनांक 07.10.2013 को सहायक खनि अभियंता, जिला सीकर के कार्यालय में माइंस फोरमैन ग्रेड–II के पद पर हुई। अपीलार्थी को दिनांक 22.02.2024 को खनन अभियंता, जयपुर के कार्यालय से खनन अभियंता, झुंझुनू के कार्यालय में स्थानांतरित किया गया था। दिनांक 15.01.2025 के स्थानांतरण आदेश द्वारा खनन अभियंता, झुंझुनू के कार्यालय से खनन अभियंता (सतर्कता), जयपुर के कार्यालय में स्थानांतरित किया गया है। (अनुलग्नक–1) अपीलार्थी को दिनांक 07.03.2024 के आदेश द्वारा माइनिंग फोरमैन ग्रेड–II के पद से वरिष्ठ माइनिंग फोरमैन ग्रेड–I के पद पर पदोन्नत किया गया है। (अनुलग्नक–2) वरिष्ठ खनन फोरमैन ग्रेड–I का एक पद प्रत्यर्थी संख्या झुंझुनू में रिक्त पड़ा है, जिसके विरुद्ध बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता और सार्वजनिक हित के 4 स्थानांतरित कर दिया गया है और अपीलार्थी को उसी कार्यालय में काम करने की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि वह अपने पिता के साथ रह रहा है जो पूरी तरह से उस पर निर्भर है क्योंकि अपीलार्थी की मां का बहुत पहले निधन हो गया है और डॉक्टरों ने सिफारिश की है कि पिता की देखभाल के लिए हमेशा एक उपस्थित रहना चाहिए क्योंकि

वह हृदय रोग से पीड़ित हैं। अपीलार्थी को न तो टीए/डीए प्रदान किया गया है और न ही दिनांक 15.01.2025 को आरोपित स्थानांतरण आदेश जारी करके अपीलार्थी को कार्यभार ग्रहण करने की अवधि दी गई है। अपीलार्थी का स्थानांतरण जयपुर से झुंझुनू दिनांक 22.02.2024 को हुआ था तथा वह यहां दिनांक 26.02.2024 को आया था तथा 10 महीने के बाद अपीलार्थी बिना किसी उचित कारण के दिनांक 15.01.2025 के आदेश द्वारा पुनः स्थानांतरित कर दिया गया।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी के संबंध में जारी आदेश दिनांक 15.01.2025 को अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी को फोरमैन ग्रेड–I के पद पर खनन अभियंता कार्यालय, झुंझुनू में सेवा की सभी लाभो सहित निरंतर कार्यरत रखा जावे।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी अपील में अंकित तथ्यों के आधार पर प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहता है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपनी परिवेदना प्रस्तुत कर सके।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है। अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/ दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी दो सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि अधिकरण अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को किसी विशिष्ट तरीके से निस्तारित करने के संबंध में कोई आदेश नहीं दे रहा है।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य